CANCELLED. CANCELLED. CANCELLED.

50

समक्ष– न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर म.प्र.
I/निगरानी/सागर/भू.रा/2018/0690

B-O-R.
26 DEC 2017

सुरेश कुमार राय आयु करीब 70 वर्ष
वल्द स्वर्गीय श्री राजाराम राय
निवासी ग्राम सेमराझिला पोस्ट चन्द्रापुर तह. राहतगढ़
जिला सागर म.प्र. ----निगरानीकर्ता

252
26/12/17

//विरूद्ध//

1. मनोहरलाल आयु करीब 67 वर्ष वल्द स्व. राजाराम राय
 निवासी वार्ड नं. 2 राहतगढ़ तह. राहतगढ़ जिला सागर Expired

2. कैलाश राय आयु करीबन 65 वर्ष वल्द स्व. राजाराम राय
 निवासी वार्ड नं. 2 राहतगढ़ तह. राहतगढ़ जिला सागर

3. हरभजन राय आयु करीब 62 वर्ष वल्द स्व. राजाराम राय
 निवासी सेमराझिला पोस्ट चन्द्रापुर तह. राहतगढ़ जिला सागर

4. आत्माराम राय आयु करीब 65 वर्ष वल्द स्व. काशीराम राय
 निवासी– ग्राम बहादुरपुर तह. राहतगढ़ जिला सागर

----अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता:–
निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है:–

निगरानीकर्ता यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 257–बी–121 वर्ष 2009–10 नाम पक्षकार–सुरेश राय विरूद्ध मनोहर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.11.2017 के विरूद्ध एवं उससे पीड़ित होकर निम्नलिखित एवं अन्य आधारों पर करता है:–

/2/

(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/690 सुरेश विरूद्ध मनोहरलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ के प्रकरण क्रमांक 257-बी-121 वर्ष 2009-10 में पारित आदेश दिनांक 22-11-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-12-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	

4.1.19

लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.के. जैन)
सदस्य
4.1.19